न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:– श्री अखिलेश कुमार पिपल आर.ए.एस.

अपील संख्या:– 69/2020 (GCMS No. 2020/00069) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. श्रीमती प्रतिभा पवांर पत्नि निर्मल पवांर जाति पवांर उम्र 44 साल हाल निवासी 135 रामनगर सोडाला जयपुर।।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर।

.....रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाई माधोपुर दिनांक 26.10.2010 मि.नं. 67/10 उनवान सरकार बनाम प्रतिभा 90 ए एल. आर.एक्ट एवं आदेश जिला कलक्टर सवाई माधोपुर दिनांक 18.08.2015 मुकदमा नं. 102/13 उनवानी श्रीमती प्रतिभा पॅवार बनाम सरकार।

उपस्थिति:–

1. श्री राधेश्याम वैष्णव वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक, वकील रेस्पोडैन्ट

निर्णय दिनांक : 10.07.2023

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत आदेश जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के आदेश दिनांक 18.08.2015 एवं तहसीलदार सवाई माधोपुर के आदेश दिनांक 26.10.2010 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट की रजिस्टर्ड क्रय शुदा खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि ख.नं. 1046 व 1043 रकवा 0.73 हैक्टे. बांके ग्राम रामसिंहपुरा में स्थित पर हल्का पटवारी द्वारा एक मिथ्या साजिश पूर्वक रिपोर्ट 90 ए एल.आर.एक्ट के तहत

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

पेश कर प्रकरण को दर्ज किया गया तथा अपीलान्ट को नोटिस जारी किया। कृषि भूमि को आबादी में परिवर्तित किये जाने पर निर्माण कार्य को रूकवा दिया एवं विधि विरूद्ध तरीके से दिनांक 26.10.2010 को मौके पर स्थित चबूतरों को हटाये जाने, पेनल्टी एवं बेदखली के आदेश दिये गये जिसकी अपील न्यायालय जिला कलक्टर सवाई माधोपुर में की गई। उक्त अपील दिनांक 18.08.2015 को खारिज कर दी गई। जिनके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडैन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया व तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडैन्ट्स की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

2. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा धारा 90 ए का नोटिस दिनांक 17.08.2010 को जारी किया गया। खसरा नम्बर 1046 व 1043 रकवा 0.73 हैक्टै. अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी श्री लोकेश चन्द गुप्ता ने उक्त आदेश में अपना स्थानान्तरण होने के उपरान्त अन्य होटल मालिकों से सांठ गांठ कर मनमर्जी से उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। इसका प्रमाण यह है कि पत्रावली के सरवरक पर आगामी पेशी दिनांक 02.11.2010 नियत थी उसको काटकर 26.10.2010 नियत कर दी गयी और अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा सरवरक पर तारीख बदल करके निर्णय कर दिया। उक्त प्रकरण की सुनवाई शीघ्र करनी होती तो पक्षकार को शीघ्र सुनवाई का नोटिस दिया जाना चाहिए था जो नहीं दिया गया। दिनांक 26.10.2010 की जानकारी जब वकील अपीलान्ट तहसील कार्यालय में दिनांक 02.11.2010 को गये तब मालूम चला कि प्रकरण का निर्णय पूर्व में ही कर दिया गया है। अपीलान्ट को पूर्व में निर्णय की कोई जानकारी नहीं होने तथा दिनांक 26.11.2015 को वकील से सम्पर्क करने पर जानकारी हुई जिसकी नकल का आवेदन किया गया। नकल प्राप्त होने पर अपील अन्दर मियाद पेश कर दी गई। अपील में हुये बिलम्ब के लिए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील में हुये बिलम्ब को कन्डोन किये जाने हेतु निवेदन किया है। अपीलान्ट ने स्पष्ट अंकन किया कि उक्त चबूतरे अमरूद की फसल के रख रखाब के लिए बनाया था क्योंकि अपीलान्ट की भूमि में अमरूद के बगीचे लगे हुये हैं। अपीलान्ट ने उक्त भूमि का किसी अन्य अकृषि कार्य में नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने एक मात्र संभावना के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। रिपोर्ट के अलावा प्रकरण में किसी प्रकार की कोई स्वतंत्र साक्ष्य

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

या मौके पर जाकर कोई जॉच नहीं की है। उक्त चबूतरों को होटल की संभावना का आधार मानकर आदेश पारित किया है। नोटिस चबूतरा निर्माण का दिया गया है, परन्तु पक्का निर्माण नहीं किया है। फसल में पानी भरने से रोकने के लिए फसल रखने के लिए बनायी। व्यावसायिक निर्माण नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में उक्त चबूतरों को व्यावसायिक काम में लेने को आधार मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर ने दिनांक 11.02.2013 को रिमाण्ड की है। कोई होटल नहीं बना रखा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट पर पैनल्टी मनमर्जी पूर्वक बिना न्यायिक विवेक उपयोग में लाये हुये अधिकतम पारित की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर न्यायालय तहसीलदार सवाई माधोपुर का आदेश दिनांक 26.10.2010 एवं जिला कलक्टर सवाई माधोपुर का आदेश दिनांक 18.08.2015 निरस्त किया जावे।

4. राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये विधिवत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिनमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों का निर्णय बहाल रखा जावे।

5. बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध दिनांक 26.10.2010 को उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया गया कि अपीलान्ट द्वारा बिना संपरिवर्तन आराजी खसरा नम्बर 1043 व 1046 रकवा 0.73 हैक्टे. वांके ग्राम रामसिंहपुरा पर निर्मित पुख्ता चारदीवारी एवं चबूतरा निर्माण को ध्वस्त करने एवं अवैध निर्माण पर शास्ती लगाई गई, जिसके विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के यहॉ प्रस्तुत की गई। न्यायालय जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.08.2015 से उक्त अपील खारिज कर दी। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.08.2015 के विरूद्ध अपील दिनांक 30.11.2015 को की तथा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के आधार न्यायालय के मत में पर्याप्त होने से अपील में हुये बिलम्ब को कन्डोन किया जाता है। अपीलान्ट का मुख्य तर्क है कि उसके द्वारा अपने खातेदारी की आराजी पर अमरूदों की फसल के रखरखाब के लिए चबूतरों का निर्माण किया है किसी अन्य अकृषि कार्य के लिए निर्माण नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र संभावनाओं के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। पूर्व में प्रकरण में न्यायालय

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के यहॉ अपील प्रस्तुत करने पर न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत संपरिवर्तन आदेश दिनांक 12.03.1997 की सत्य प्रतिलिपि अपीलान्ट से प्राप्त कर नये सिरे से संपरिवर्तन आदेश की विवेचना करते हुए निर्णय पारित करने का निर्णय दिया। अपीलान्ट द्वारा न तो अधीनस्थ न्यायालय में और न ही न्यायालय हाजा में उक्त संपरिवर्तन आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की। केवल भू संपरिवर्तन आदेश दिनांक 10.03.1999 की छायाप्रति पेश की। जिसमें खसरा नम्बर 420/2/1 रकवा 2 बीघा 15 विस्वा की रिसोर्ट होटल हेतु संपरिवर्तन का उल्लेख है। विवादित ख.नं. 1043 व 1046 का अकृषि प्रयोजनार्थ कोई संपरिवर्तन आदेश जारी हुआ है ऐसा कोई दस्तावेज अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया। 8 चबूतरों का निर्माण अमरूदों की फसल हेतु रखा जाना था कथन किसी भी रूप में उचित प्रतीत नहीं होता है। केवल सरवरक पर पेशी दिनांक पर कटौती से यह नहीं माना जा सकता कि अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया है जबकि आदेशिका में दिनांक 12.10.2010 के बाद 10 वें महीने की ही तारीख पेशी नियत थी। अतः न्यायालय के मत में अपीलान्ट की अपनी खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1043 व 1046 रकवा 0.73 हैक्टे. बिना भू संपरिवर्तन कराये अकृषि कार्य के प्रयोजनार्थ 8 चबूतरों का निर्माण कार्य किया है जिसके विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कोई भी विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना विधिसम्मत नहीं है। तद्नुसार अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

6. अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर सवाई माधोपुर का आदेश दिनांक 18.08.2015 एवं तहसीलदार सवाई माधोपुर का आदेश दिनांक 26.10.2010 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 10.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10-07-2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर